न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक आर.ए.एस.
विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 74 / 2021
निर्णय दिनांक : 10.12.2021

1. राम प्रताप पुत्र झगड़ूराम जाति अहीर (यादव) निवासी 7–ए, यादव भवन, कृष्णा विहार कॉलोनी, अजमेर रोड जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम महापुरा पटवार हल्का महापुरा भू.अभिलेख निरीक्षक भांकरोटा अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.7800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.1400 हैक्टयर,खसरा नम्बर 467 रकबा 0.0100 हैक्टयर,खसरा नम्बर 468 रकबा 0.2100 हैक्टयर,खसरा नम्बर 469 रकबा 0.3700 हैक्टयर,खसरा नम्बर 470 रकबा 0.0200 हैक्टयर,खसरा नम्बर 471 रकबा 0.0500 हैक्टयर,खसरा नम्बर 480 रकबा 2.3300 हैक्टयर,खसरा नम्बर 791 / 1759 रकबा 0.2000 हैक्टयर,खसरा नम्बर 792 रकबा 0.6000 हैक्टयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.7600 हैक्टयर स्थित है,जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थी ने जरिये विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि व अन्य भूमि, जिसके गत खसरा नम्बर 74 / 486, 225, 226, 249 थे को श्री रतीराम पुत्र झबलाल के साथ मिलकर क्रय किया था तथा प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण भी प्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में खुल कर दर्ज हो गया तथा कालान्तर में प्रार्थी एंव रतीराम के मध्य तकासमा होने के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी स्वंय एकल खातेदार एंव काश्तकार हो गया तथा उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज निम्न प्रकार से रहा है :– 'प्रताप पुत्र झगड़ूराम जाति अहीर सा0 नानगवास तहसील महेन्द्रगढ हरियाणा' इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि का एकमात्र स्वामी एंव काबिज प्रार्थी स्वंय है।उक्त वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार इन्द्राज निम्न प्रकार से है :– 'प्रताब पुत्र झगड़ूराम हिस्सा–पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. नानगवास तहसील महैन्द्रगढ हरियाणा खातेदार', इस प्रकार हाल जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थी के नाम प्रताप के स्थान पर प्रताब दर्ज कर दिया गया है, जिसका की दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी वर्तमान में जयपुर जिले में ही निवास कर रहा है तथा प्रार्थी का शुरू से ही घर में पुकारने का नाम प्रताप है जबकि प्रार्थी का सही एंव शुद्ध नाम राम प्रताप है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम राम प्रताप ही अंकित है तथा प्रार्थी को प्रताप व राम प्रताप दोनों ही नाम से जाना एंव पहचाना जाता है।प्रार्थी ने अपने सही नाम राम प्रताप की उदघोषणा करवाने के बाबत राजकीय गजट 01 जुलाई 2021 में भी शपथ पत्र का प्रकाशन करवा लिया है तथा अब से प्रार्थी को उसके सही एवं [illegible] राम प्रताप से ही जाना पहचाना व पुकारा जाता है।

प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड [illegible] को दुरुस्त करवा कर अपना सही एंव सत्य नाम राम प्रताप अंकित करवाना चाहता है [illegible] अपना वर्तमान पता भी राजस्व [illegible] जमाबन्दी में अंकित करवाना चाहता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में [illegible] वादग्रस्त भूमि की खातेदारी [illegible] प्रार्थी के नाम के गलत इन्द्राज को दुरुस्त कर प्रार्थी का सही नाम राम प्रताप व वर्तमान पता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक एंव उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:50:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित उक्त गलत इन्द्राजात् को दुरूस्त कर अपना सही एंव शुद्ध नाम का अंकन किये जाने बाबत अप्रार्थी से कई बार निवेदन कर चुके है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त किये जाने की कोई कार्यवाही नही की है।

इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थी द्वारा चाही गयी दुरूस्ती की जावें तथा आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर गलत इन्द्राजात "प्रताब" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी का सही, सत्य एंव शुद्ध नाम "राम प्रताप" एंव प्रार्थी का वर्तमान पता "7–ए, यादव भवन, कृष्णा विहार कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर" का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन किया जावे।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेज सूची के साथ प्रमाणित प्रति हाल जमाबन्दी, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी आधार वर्ष...,प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति विक्रय पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जवाब पेश किये जाने पत्र जारी किया गया, कई मौके होने पर भी अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्तभूमि की खातेदारी में प्रार्थीव श्री रतीराम केहक में निष्पादित विभिन्न विक्रय पत्रों एंव उनके आधार पर खोले गये नामान्तरकरणो के आधार पर दर्ज हुई है तथा दौराने भू–प्रबन्ध संक्रिया वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई है, तथा सम्वत् 2074–77 की जमाबन्दी का निर्माण करते समय सहवनवश प्रार्थी का गलत नाम का अंकन हो गया है तथा राजकीय गजट में भी प्रार्थी ने अपने सही नाम राम प्रताप की उद्घोषणा करवा ली है तथा इसका प्रकाशन भी राजकीय गजट 01 जुलाई 2021 में हो चुका है तथा प्रार्थी की पहचान के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड, एंव ग्राम पंचायत नानगवास के पत्र दिनांक 21.01.2021 से भी प्रार्थी की सही एंव वर्तमान नाम की पुष्टि होती है, इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर प्रार्थी का सही नाम का अंकन किया जाना हम उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.7800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.1400 हैक्टयर,खसरा नम्बर 467 रकबा 0.0100 हैक्टयर,खसरा नम्बर 468 रकबा 0.2100 हैक्टयर,खसरा नम्बर 469 रकबा 0.3700 हैक्टयर,खसरा नम्बर 470 रकबा 0.0200 हैक्टयर,खसरा नम्बर 471 रकबा 0.0500 हैक्टयर,खसरा नम्बर 480 रकबा 2.3300 हैक्टयर,खसरा नम्बर 791/1759रकबा 0.2000 हैक्टयर,खसरा नम्बर 792 रकबा 0.6000 हैक्टयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.7600 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम "प्रताब" के स्थान पर सही एंव शुद्ध नाम "राम प्रताप" एंव प्रार्थी का हाल पताः "7–ए, यादव भवन, कृष्णा विहार कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर" का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि ... अनुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की प्रति प्रमाणित ... के साथ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 10/12/2021 को खुले ... में मेरे द्वारा सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर